

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या- वनभूमि-10/2018-

188

व०प०, राँची, दिनांक- 24-01-2022

प्रेषक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0-31 के बरही से कोडरमा सेक्शन के फोर लेन चौड़ीकरण हेतु 12.362 हे० (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल-8.580 हे० एवं कोडरमा वन प्रमण्डल-3.782 हे०) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र सं०- FP/JH/ROAD/16883/2015/4108 दिनांक-04.08.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज-II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1388 दिनांक-22.11.2021 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 10.446 हे० अधिसूचित वनभूमि विमुक्त की जाती है।

प्रस्ताव में सन्निहित 1.916 हे० जंगल-झाड़ी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः उक्त जंगल-झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। तदनुसार निज स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2018-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2018-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड-834002 को स्टेज-II के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

उप परामर्शी।

क०प०उ०

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2018-

व0प0, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को स्टेज-II की स्वीकृति संबंधी पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 1.916 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

ह0/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2018-

व0प0, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल/परियोजना निदेशक, NHA, हाउस न0-B-402, रोड न0-4C, अशोक नगर, राँची-834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2018-

188

व0प0, राँची दिनांक-24-01-2022

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website "forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।


24/1/2022
उप परामर्शी।